

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 04/2020 (राजस्व अपील)

GCMS No. 2020/00009

अनवान

1. श्री गोता पिता तेजीजी डांगी, निवासी गरड़ा-जेताणा, तह. सलूमबर, जिला उदयपुर।

– अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सलूमबर, जिला उदयपुर।

– रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित

1. श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता अपीलान्त।
2. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरुद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार झल्लारा, प्र.स. 755/2020 दिनांक 16.06.2020

* निर्णय *

दिनांक– 15-01-2021

प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्त ने इस न्यायालय में अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार झल्लारा, जिला उदयपुर निर्णय दिनांक 16.06.2020 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गरड़ा, तहसील सलूमबर में आराजी संख्या 5 रकबा 0.02 हेक्टेयर भूमि स्थित है, जिसमें से अपीलान्त का कब्जा 0.02 हेक्टेयर भूमि पर होना बताया है, जबकि अपीलान्त का कब्जा केवल 30 X 45 फीट भूमि पर करीब 30 वर्षों से चला आ रहा है। इस भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत ने अपीलान्त के हक में जारी किया, जिसके आधार पर अपीलान्त का जायज कब्जा है एवं अपीलान्त ने भारी लागत लगाकर उक्त भूमि पर पक्का निर्माण कार्य किया है। अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार झल्लारा द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट मगाकर धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अपीलान्त को नाजायज कब्जे का नोटिस दिया तथा नोटिस में तारीख पेशी दिनांक 18.05.2020 लिखी गई तथा कवर पर तारीख फैसल दिनांक 18.05.2020 बता रखी है, किन्तु फैसले पर कोई तारीख नहीं डाली गई है। उक्त प्रकरण दायर की दिनांक 13.03.2020 की बता रखी है। दिनांक 18.05.2020 को अपीलान्त ने न्यायालय में उपस्थित होकर दस्तावेज पेश करने हेतु समय चाहा, किन्तु पत्रावली पर फर्द अहकाम नहीं लिखा गया तथा दिनांक 29.07.2020 को मौका पर्चा बनाने के लिए पटवारी मौके पर आये तब उन्होंने दिनांक 16.06.2020 को निर्णय पारित करना बताया। दिनांक 29.07.2020 को पटवारी हल्का द्वारा बनाये गये मौका पर्चा में निर्णय की दिनांक 16.06.2020 बतायी गई है। मकान की भूमि पर अपीलान्त का जायज कब्जा है। कथित भूमि चारागाह होने का कोई ध्यान न तो पंचायत को था और नहीं अपीलान्त को था। नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश कानून के विपरीत है। नायब तहसीलदार



का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें अपीलान्त को मकान हटाने का पर्याप्त अवसर देना चाहिये था एवं जिला कलक्टर की स्वीकृति प्राप्त करके ही मकान को जब्त सरकार किया जा सकता था। आराजी संख्या 5 रकबा 0.02 हेक्टेयर अपीलान्त का मकान बना हुआ है एवं उक्त भूमि को चारागाह से आबादी विस्तार हेतु प्रस्ताव जिला कलक्टर उदयपुर को प्रेषित किये गये हैं तथा भूमि आवंटन होने की स्थिति में पट्टा स्वतः बहाल हो जायेगा। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.06.2020 को निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षी को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई एवं प्रकरण में पृथक से जवाब पेश न कर सीधे बहस हेतु अनुरोध किया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में नायब तहसीलदार झल्लारा द्वारा प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 755/2020 प्राप्त होने पर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलान्त अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ करते हुए अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए नायब तहसीलदार झल्लारा द्वारा पारित आदेश को विधि विरुद्ध बताते हुये मौजा गरड़ा, तहसील सलुम्बर में स्थित आराजी संख्या 5 रकबा 0.02 हेक्टेयर भूमि में से 30 x 45 फीट भूमि पर अपीलान्त का पुराना कब्जा होना, ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जाना, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत पत्रावली तैयार न करना, सुनवाई का अवसर न देना, निर्णय पर दिनांक अंकित न होना, कवर पर निर्णय की दिनांक 18.05.2020 अंकित होना एवं पटवारी के मौका पर्चा में निर्णय की दिनांक 16.06.2020 अंकित होना, आबादी विस्तार के प्रस्ताव जिला कलक्टर को भेजे जाना आदि अवगत कराते हुये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधि विपरीत बताया। अपीलान्त अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि उक्त अवधि में कोरोना संक्रमण को देखते हुये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा एकपक्षीय एवं एडवर्स ऑर्डर न करने हेतु समस्त अधिनस्थ न्यायालयों को दिशा निर्देश जारी कर रखे थे, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्देशों को नजरअंदाज करते हुये विधि विपरीत आदेश पारित किया, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्त अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:—

- आर.आर.डी. 2006 पृष्ठ 278
- आर.आर.डी. 2003 पृष्ठ 441
- आर.आर.डी 2002 पृष्ठ 583
- आर.आर.डी 2006—07 पृष्ठ 650

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में भाग लेते हुये अनुरोध किया कि मौजा गरड़ा, तहसील सलुम्बर की आराजी संख्या 5 रकबा 0.02 हेक्टेयर किस्म चारागाह भूमि पर अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण करने की शिकायत प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार झल्लारा द्वारा नियमानुसार सुनवाई की जाकर अपीलान्त को मौके से बेदखल करने का आदेश दिया गया

हैं, जो नियमानुसार है। अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत पट्टों पर आराजी संख्या का उल्लेख नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उक्त पट्टों के आधार पर अपीलान्त का राजकीय भूमि पर स्वामित्व नहीं माना जा सकता है। अतः अपील अपीलान्त अस्वीकार कर खारिज की जावें।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी एवं अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उनमें वर्णित तथ्यों आदि का अवलोकन किया एवं उन पर गंभीरता से अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रकरण राजस्व ग्राम गरड़ा, तहसील सलूमबर में आराजी संख्या 5 रकबा 0.02 हेक्टेयर भूमि किस्म चारागाह पर अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण करने से संबंधित है, जिसमें अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार झल्लारा द्वारा अपीलान्त को मौके से बेदखल करने के आदेश पारित किये हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध सरवर्क पर प्रकरण संख्या 755/2020 दिनांक 13.03.2020 को दर्ज होना एवं दिनांक 18.05.2020 को निर्णित होने का उल्लेख है, किन्तु दिनांक 18.05.2020 की कोई ऑर्डर शीट नहीं लिखी गई है एवं इससे पूर्व की ऑर्डर शीट में भी दिनांक का अभाव है। अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार झल्लारा द्वारा पारित निर्णय में भी दिनांक का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के नोटिस में भी नोटिस जारी दिनांक 05.05.2020 अंकित है अर्थात् प्रकरण दिनांक 13.03.2020 को दर्ज हो जाने के उपरान्त लगभग दो माह बाद धारा 91 का नोटिस जारी किया गया है, जो उचित नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा जारी मौका पर्चा रिपोर्ट में दिनांक 16.06.2020 को निर्णय होना बताया गया है, जबकि पत्रावली के सरवर्क पर निर्णय की दिनांक पृथक अंकित है। इस प्रकार नायब तहसीलदार झल्लारा द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय में प्रक्रियात्मक त्रुटि होना स्पष्ट परिलक्षित होता है। यह भी स्पष्ट है कि उक्त अवधि में कोरोना संक्रमण को देखते हुए माननीय राज. उच्च न्यायालय एवं राजस्व मंडल द्वारा एकपक्षीय निर्णय पारित न करने व पक्षकार/उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में एडवर्स ऑर्डर जारी न करने बाबत दिशा-निर्देश जारी किये गये थे, किन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित किया है एवं ऐसे निर्णय को अपास्त कर पुनः विधिवत सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित करना हम उचित समझते हैं।

अतः अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील अतंगत धारा 75, भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार झल्लारा द्वारा प्रकरण संख्या 755/2020 में पारित निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार झल्लारा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि हमारे द्वारा दिये गये उपरोक्त प्रेक्षणों को ध्यान में रखते हुये प्रकरण नवीन सिरे से दर्ज कर, उभय पक्ष की साक्ष्य सबूत प्राप्त कर, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नवनिर्णय पारित करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर